गोपनीय।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःडीजी–परिपत्र संख्या–19/2020

दिनांकःलखनऊः जून ०1, 2020

सेवा में,

पुलिस आयुक्त,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद–प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में विगत कुछ दिनों से विभिन्न समुदायों के मध्य कतिपय तनाव/अविश्वास का माहौल परिलक्षित हो रहा है, जिसकी परिणति यदाकदा आपराधिक घटनाओं के रूप में भी देखी जा रही है। पुलिस का कार्य समाज में अविश्वास भाव वाद–विवाद, रंजिश, हिंसा व साम्प्रदायिक घटना आदि पर पूर्व में सतर्क रहकर उसकी रोकथाम करना है।

इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देश दिये जा रहे हैः–

- जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं तहसील स्तर पर क्षेत्राधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा शांति समिति की बैठक कर ली जाये। कोविड–19 प्रोटोकाल के दृष्टिगत **सोशल डिस्टेंसिंग** आदि का पूर्ण अनुपालन इस अवसर पर किया जाये।
- थाने पर मौजूद त्यौहार रजिस्टर, साम्प्रदायिक सूचना रजिस्टर, **रजिस्टर नं0 8(ग्राम अपराध रजिस्टर)** का अवलोकन कर पूर्व में किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आया हो तो उनपर निरंतर निगरानी रखते हुये नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- थाना क्षेत्र में भूमि विवाद, साम्प्रदायिक प्रकृति के विवाद तथा विवादित स्थलों से संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराते हुये आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- पुरानी घटनायें जो साम्प्रदायिक प्रकृति की हो, उनकी समीक्षा कर आवश्कतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही करायें तथा जनपद में वांछित चल रहे इस तरह के आपराधियों की गिरफ्तारी की जाये।
- जनपद के **अभिसूचना तंत्र** को और अधिक प्रभावशाली बनाये तथा आसूचना का संकलन कर उनकी समीक्षा करते हुये समय रहते निरोधात्मक कार्यवाही करें। इस कार्य में ग्राम चौकीदार/ग्राम प्रधान, **विशेष पुलिस अधिकारी(एसपीओ)**, व्यापार मण्डल आदि की मदद भी ली जाये।
- किसी भी प्रकार की अफवाह के तत्काल खंडन करने की कार्यवाही की जाये। विशेष रूप से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फैलने वाले अफवाहों, आपत्तिजनक टिप्पणियों व पोस्टों आदि की सतत निगरानी कर सतर्क दृष्टि रखी जाये। इस कार्य में **डिजीटल वॉलटिंयर** का सहयोग लिया जाये।
- **बीट प्रणाली** को और अधिक प्रभावी बनाया जाये। आरक्षी से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, जिससे जनमानस में सुरक्षा की भावना बनी रहे एवं शरारती तत्वों पर कडाई से अंकुश लगा रहे।
- दंगा नियत्रंण योजना/सुरक्षा उपकरण की समीक्षा कर ली जाये तथा प्रत्येक पुलिस लाइन में इसका पूर्वाभ्यास सुनिश्चित कराया जाये। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, भवनों, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन व व्यस्त्तम चौराहों आदि पर लगे **सीसीटीवी कैमरों** की समीक्षा कर ली जाये।

- **कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम (एस–10)** के संबंध में इस मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्याःडीजी–26/2018 दिनांक 30.05.2018 में अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारियों से निकटतम समन्वय स्थापित रखेगें।

11/6/20

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः</u>– <u>निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>–

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।